

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2011—चैत्र 1, शक 1933

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2011

आदेश क्र. 32-18-2011-मध्यम-इकतीस-281.—मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को राज्य शासन के आदेश क्रमांक 42-प्र.स.-ज.स.वि.-2011, दिनांक 16 मार्च 2011 के संबंध में बीना काम्पलेक्स सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है.

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा आयुक्त के पद पर नियुक्ति राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति 2007 के अध्याय 5 "पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उनकी शाक्तियां और कार्य" के संबंध में अधिसूचित की जाती है. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना तैयार करने में डूब निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के पैरा 6.1 में परिभाषित गांव जो प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, को अधिसूचित किए जाने की अनुमति भी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा आयुक्त को प्रदान की जाती है.

No. 32-18-2011-Med.-XXXI-281.—Government hereby appoints the Additional Secretary, GoMP, Water Resources Department as Administrator and commissioner for Rehabilitation and Resettlement in terms of G. O. No. 42/PS-WRD-2011, dated 16th March 2011 for the Bina Complex Irrigation and Multipurpose Project.

Administrator and Commissioner for Rehabilitation and Resettlement has been appointed in Terms of chapter 5- "Appointment of Administrator and Commissioner for Rehabilitation & Resettlement and their powers and functions" of National Rehabilitation & Resettlement Policy 2007. He is also permitted as Administrator to notify the villages which are coming under "affected area" as defined under Para 6.1 of National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007 to finalize the exact extent coming under submergences for preparation of Rehabilitation and Resettlement Plan.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव.